

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
विपक्षीय अधिकारी-चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
विपक्षीय नम्बर - 374/2017 प्रार्थना पत्र
श्री भवनेश्वर सिंह पिता मोरा दरोगा, उम्र बालिग निवासी सांवरिया मंदिर के पास, चर्च रोड़, आजादनगर
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

बनाम

- श्री रतनलाल पिता गोपीदास बैरागी, उम्र बालिग निवासी सांवरिया मंदिर के पास, चर्च रोड़, आजादनगर
श्री सूरज सिंह पिता जेतसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
पास, चर्च रोड़, आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री भीमसिंह पिता जेतसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी मकान नम्बर 251, सांवरिया मंदिर के
आजादनगर- भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री विक्रमसिंह पिता जेतसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी सांवरिया मंदिर के पास, चर्च रोड़,
आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री विजय सिंह पिता जेतसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी सांवरिया मंदिर के पास, चर्च रोड़,
आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री मोतीसिंह पिता जेतसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी सांवरिया मंदिर के पास, चर्च रोड़,
आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री मोतीसिंह पिता जेतसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी सांवरिया मंदिर के पास, चर्च रोड़
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
8-सुखी कंवर पत्नि जेतसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी सांवरिया मंदिर के पास, चर्च रोड़, आजादनगर
आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9-श्री धर्मनाथ पिता भवनाथ ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
10-श्री भंवरसिंह पिता रामा रावणा, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
11-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-26.3.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 239 में स्थित हाल आराजी नम्बर 1067/1 रकबा 10 बिस्वा व खाता संख्या 313 में स्थित हाल आराजी नम्बर 1068 रकबा 7 बिस्वा प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन व रजिस्टर्ड ए/डी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण वावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.3.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1067/1 रकबा 10 बिस्वा व खाता संख्या 313 में स्थित आराजी नम्बर 1068 रकबा 7 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पुर को 300/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी प्रोवाल)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा